निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

08 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 132) पटना, मंगलवार, 29 मार्च 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 मार्च 2022

सं० वि०स०वि०–07/2022–**1390**/वि०स०––''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

[वि०स०वि०—05 / 2022]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक

प्रस्तावनाः— राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा 4 में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।— (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।— (1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 की उपधारा (2) के परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

''परंतु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृत्ति) 75 वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृत्ति) 70 वर्ष होगी।

परंतु यह कि अध्यक्ष एवं सदस्यगण पुनर्नियोजन हेतु पात्र होंगे। पुनर्नियोजन की अवधि का निर्धारण ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना राज्यहित में है। इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 4 की उप धारा (2) के परंतुक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 4 की उप धारा (2) के परंतुक में संशोधन किया जाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(विजय कुमार चौधरी)
भार—साधक सदस्य।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक—28.03.2022

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 132-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in